रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2019/आश्विन 3, 1941
No. 565] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019/ASVINA 3, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 690(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खण्ड(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदन ग्रहण करने और निपटारों के लिए प्रक्रिया नियम 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवेदन ग्रहण करने और निपटारों के लिए प्रक्रिया (संशोधन) नियम, 2019 है।

   (II) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आवेदन ग्रहण करने और निपटारों के लिए प्रक्रिया 2004 में, नियम 2 के, उप-नियम (2) में "संगठन" शब्द के पश्चात, "पहली अनुसूची में या यथास्थिति चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि का नाम" शब्दों को रखा जाएगा ।

[फा. सं. 17011/40/2019-सी.टी.-1]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 676(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2004 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2019

G.S.R. 690(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Procedure for Admission and Disposal of Application Rules, 2004, namely:—

1. Short title and commencement.—(I) These rules may be called the Procedure for Admission and Disposal of Application (Amendment) Rules, 2019.

   (II) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the Procedure for Admission and Disposal of Application Rules, 2004, in rule 2, in sub-rule (2) after the word "organizatior", the words "from the First Schedule or as the case may be, the name of an individual from the Fourth Schedule" shall be inserted.

[F. No. 17011/40/2019-CT-I]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 676 (E) dated the 14th October, 2004.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA